अपील सूचना अधिकार संख्या 94/2016 अनवानी महावीर सिंह चारण पुत्र भगवानसिंह चारण निवासी यूआईटी क्वाटर्स के पास, इंद्रा कालोनी, बीकानेर बनाम तहसीलदार विजयनगर

13–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महावीर सिंह चारण उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री महावीर सिंह चारण ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनाऐं चाही थी:–

1.तहसीलदार विजयनगर भोमाराम द्वारा अपने कार्यकाल द्वारा costodian प्रकरणो मे कितने आवंटन किए गए एवं कितने प्रकरणों में खातेदारी दी गई एवं इन्तकाल दर्ज किए गए। costodian से सबंधित समस्त रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

2.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में कब–कब मुख्यालय छोडा गया, स्वीकृत पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे, मुख्यालय से अन्यत्र कब–कब राजकीय कार्यो से भ्रमण किए गए प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

3.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में कुल कितने बिल यथा टीए, डीए, मेडिकल, पेड बाय मी, तथा अन्य सभी प्रकार का भुगतान जो सरकारी खाते से प्राप्त किया या प्रस्तावित है के बिलो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

4.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में जो राजकीय या संविदा वाहन उपभोग किया जा रहा है, के लोगबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे तथा पेट्रोल ओयल लुब्रिकेट के बिलो की प्रति भी उपलब्ध करावे।

5.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में वर्ष 2014 व 2015 के हाजरी रजिस्टर की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा जिन भी अराजपत्रित कर्मिको को छुटटी सीएल–पीएल मंजूर की गई है की स्वीकृती पत्र भी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

6.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में कुल कितने रात्रि चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया गया से संबधित सुसंगत जानकारी उपलब्ध करावे।

7.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में इनके खिलाफ वर्ष 2014 एवं 2015 मे कुल कितनी शिकायते (सम्पर्क एवं अन्य माध्यम से) प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई से संबधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

8.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में वर्ष 2014 एवं 2015 में कुल कितना राजस्व वसूला गया तथा राजकीय टारगेट क्या था से सबंधित दस्तावेज उपलब्ध करावे।

9.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में वितीय वर्ष 2014 एवं 2015 मे तहसील विजयनगर में कुल कितना आवंटन हुआ तथा उसको किन–किन मदो में कैसे खर्च किया गया, समस्त प्रकार की विविध खुली एवं सीमित तथा प्रोक्रेमेन्ट पोर्टल से सबंधित दस्तावेजो एवं संबधित यूसी/सीसी की प्रति उपलब्ध करावे।

10.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में वर्ष 2014 एवं 2015 में सम्पर्क पोर्टल एवं अन्य किसी भी माध्यम से कुल कितनी शिकायते प्राप्त हुई तथा कितनी का निस्तारण किया गया तथा कितनी पेंडिग है से सबंधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

11.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल के दौरान कितने इन्तकाल का तस्दीक किया गया, इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि करावे।

12.तहसीलदार भोमाराम द्वारा घोषित सम्पति जो कि पब्लिक डोक्यूमेंन्ट है, कि प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

13.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में कुल कितने खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण किया गया, संबधित सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध करावे।

14.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में कुल कितने खातेदारी प्रकरण लम्बित है। सूचनी उपलब्ध करावे।

15.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में अराजीराज, गोचर, चारागृह, मन्दिर माफी की भूमि कितने–कितने क्षेत्र (पृथक–पृथक) है, इनमें से कितनी भूमि अतिक्रमण मुक्त तथा कितनी अतिक्रमण युक्त है, दस्तावेजो मय चक की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

16.तहसीलदार भोमाराम द्वारा अपने तहसीलदार विजयनगर के कार्यकाल में पटवार हल्का 36 जीबी ग्राम चैनपुरा मे कितना राज्य सरकार के अराजीराज रकबे की भारत सरकार के कस्ट्रोडियन क्लेम पात्रता वाले को आवंटित किया गया, आवंटन पत्रावलियों की सम्पूर्ण सत्यप्रतिलिपियां प्रमाणित उपलब्ध करावे।

हस्ता.
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर द्वारा पत्र सं0 290 दिनांक 29.03.16 प्रेषित किया है जिससे सहायक लोक सूचना अधिकारी की मंशा प्रथमदृष्टया प्रमाणित हो रही है कि वह सूचना देना नही चाहते है लोक दस्तावेजो का अनर्गल रूप से आकलन किया गया है सूचना विस्तृत होने की अवस्था में वह रिकार्ड का अवलोकन करने का अधिकारी है उसे रिकार्ड अवलोकन करने का अवसर दिया जावे ताकि उसे जिस सूचना की आवश्यकता है वह उसे प्राप्त कर सकें।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 401 दिनांक 13.06.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 290 दिनांक 29.03.16 के द्वारा 43437 पृष्ट की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 86874रूपये के पोस्ट ऑर्डर जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया था जो अपीलार्थी द्वारा आज तक जमा नही करवाई है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने पत्र सं0 290 दिनांक 29.03.16 के द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना 43437 पृष्ठ है जो कि दो रूपये प्रति पृष्ट के हिसाब से 86874 अखरे छयासी हजार आठ सौ चौहतर रूपये के पोस्टल ऑर्डर भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि आपको सूचना भिजवाई जा सके।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है और अत्यधिक विस्तृत रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** फिर भी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई 16 बिन्दुओ की विस्तृत सूचना का संकलन कर व आकलन कर 43437 पृष्ठ के दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से 86874 रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को सूचित किया है। अपीलार्थी को चाहिए था कि वह उक्त राशि के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर सूचना प्राप्त करता। परन्तु अपीलार्थी ने वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा दस्तावेजो का अनर्गल रूप से आकलन करना बताकर यह अपील प्रस्तुत की है जो स्वीकार करने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती हैं। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर